



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092021-229757
CG-DL-E-17092021-229757

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 17, 2021/भाद्र 26, 1943

No. 274]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 17, 2021/BHADRA 26, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2021

सं. 24/2015-2020

विषय : वर्ष 2021-22 के लिए भारत-मॉरीशस सीईसीपीए के तहत प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के आवंटन के लिए आवेदन।

फा. सं. 01/93/180/63/एम-21/पीसी-II(ख)/ई-27749.—भारत मॉरीशस सीईसीपीए के तहत प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के अंतर्गत मदों के आयात की प्रक्रिया के संबंध में विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 1.03 तथा 2.04 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 07 सितम्बर, 2021 की सार्वजनिक सूचना सं. 23/2015-20 के क्रम में, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा केवल चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयात प्राधिकार पत्र प्रदान करने के लिए अधिकतम 31 अक्टूबर, 2021 तक आवेदन आमंत्रित करते हुए परिशिष्ट 2क के अनुलग्नक 3 से शर्त (ii) (च) में एतद्वारा द्वारा छूट प्रदान करते हैं जिसमें अन्य तौर-तरीके यथावत रहेंगे।

2. डीजीएफटी के ट्रेड नोटिस सं. 40/2020-21 दिनांक 04 फरवरी, 2021 के द्वारा अधिसूचित वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार टीआरक्यू आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएं।

3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव— वर्ष 2021-22 के लिए भारत-मॉरीशस सीईसीपीए के तहत प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31.10.2021 होगी।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 17th September, 2021

No. 24 /2015-2020**Subject : Applications for allocation of Tariff Rate Quota(TRQ) under India - Mauritius CECPA for the year 2021-22.**

F. No. 01/93/180/63/AM-21/PC-2[B]/e-27749.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2015-20 and in continuation of Public Notice no. 23/2015-20 dated 7th September, 2021 regarding procedure for import of items under Tariff Rate Quota (TRQ) under India - Mauritius CECPA, the Directorate General of Foreign Trade hereby relaxes condition (ii)(f) of Annexure-III to Appendix-2A by inviting applications for grant of import authorization **only for the current financial year 2021-22 , latest by 31st October, 2021, with other modalities remaining the same.**

2. The given TRQ applications are to be submitted online as per the extant procedure notified vide DGFT Trade Notice 40/202-21 dated 4th February 2021.

3. Effect of this Public Notice: Applications are invited for allocation of Tariff Rate Quota (TRQ) under India-Mauritius CECPA for the year 2021-22. The last date for application shall be 31.10.2021

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.